फर्द अहकाम
न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा
दीवानी प्रकरण संख्या 135/2021
पुराना दीवानी प्रकरण संख्या 143/2017
पूरणमल वगैरह बनाम जन्सी वगैरह

तारीख हुक्म	आदेश	आदेश की पालना बाबत् रिपोर्ट
19.09.2025	प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर शर्मा उपस्थित। अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार जैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 विजय कुमार मय अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का जवाब पेश किया गया, जिसकी नकल अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई। जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान सुनी गई। इस आदेश द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी 3 विजय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रकिया संहिता दिनांकित 15.09.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी/प्रतिवादी विजय द्वारा आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में पेशी दिनांक 22.07.25 नियत थी। उस दिन कर्मचारीगण सामूहिक अवकाश पर होने के कारण आगामी तारीख पेशी सम्मानीय न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं की गई, दिनांक 29.07.25 को कर्मचारीगण के अवकाश पर आने से पत्रावली 136/21 पूरणमल बनाम जन्सी वगैरहा पेशी पर ली गयी और उचित आदेश बाबत् दिनांक 01.08.2025 पेशी में रखी गयी। दिनांक 01.08.25 को पेशी की जानकारी नहीं होने से उस दिन सम्मानीय न्यायालय में एकतरफा निर्णय किये जाने के आदेश पत्रावली में आदेशिका में हो गये व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बदस्तूर पेशी पर चलती रही। जब दोनों पत्रावली एक ही शीर्षक से चल रही है, फिर पत्रावलियों में अलग–अलग आदेश किया जाना न्यायिक प्रकिया पर प्रश्नचिन्ह अपने आप ही खड़ा हो जाता है, चूंकि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2025 को यथास्थिति के आदेश के साथ निर्णीत हुयी है। प्रार्थी प्रतिवादी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित हुआ हैं। अतः निवेदन है कि दिनांक 01.08.2025 का एकपक्षीय निर्णय निरस्त किये जाने की 19.9.2025	

कृपा करें।

वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस तरह तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। मुकदमा हाजा में दिनांक 22.07.25 तारीख पेशी नियत थी। दिनांक 22.07.25 से टारगेट केस होने से 01.08.25 तारीख पेशी नियत की थी। न्यायिक कर्मचारीगण अवकाश पर होने के बाद भी प्रतिवादीगण व उसके वकील साहब को उपस्थित होना चाहिये था एवं अग्रिम तारीख पेशी नोट करना चाहिये था, जो लापरवाही को दर्शाता है। प्रतिवादीगण के वकील साहब ने दिनांक 15.09.25 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि इस पत्रावली में 01.08.25 को कार्यवाही हुई, फिर 20.08.25 तारीख पेशी नियत की गई, उसके पश्चात् 29.08.25 तारीख पेशी नियत की गई। इतने लंबे अंतराल तक प्रतिवादीगण व उनके वकील साहब का लापरवाही बरतना मुकदमा को देरीना करने का उददेश्य साफ प्रकट करता है, जो sufficient cause की तारीख में नहीं आता है। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण व वकील साहब ने दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग आदेश किये जाने को न्यायिक प्रकिया पर प्रश्नचिह्न खड़ा करने का कथन किया है, जो न्यायालय के ऊपर आरोप लगाने के समान है, जबकि दावा टारगेट केस होने से दावा में अलग पेशी नियत की गई थी। प्रतिवादीगण ने पश्चातवर्ती सुनवाई के दिनों में उपस्थित नहीं होने का sufficient cause नहीं बताया है एवं प्रार्थना पत्र के सपोर्ट में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रार्थना पत्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण की जानबूझकर की गई लापरवाही से टारगेट केस विलंब हुआ है, जबकि वादी ने साक्ष्य के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे यदि श्रीमान् दोनों पक्षों को सुनने हेतु ex party set aside करना न्याय संगत मानते हुये भारी जुर्माना प्रतिवादीगण पर लगाने की कृपा करें।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये कथन किये है कि दिनांक 22.07.25 को कर्मचारीगण सामूहिक अवकाश पर थे, उस दिन उक्त प्रकरण व इसी उनवान का टीआई प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई नियत था। न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2025 को

19.9.25

नोटिस बोर्ड पर आगामी तारीख पेशी बाबत् कोई सूचना चस्पा नहीं की गई। न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाते हुये एवं मनमर्जी से इस प्रकरण को दिनांक 29.07.2025 को पेशी में लेकर प्रतिवादी की अनुपस्थिति में उचित आदेश में रख दिया एवं दिनांक 01.08.2025 को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति दर्ज करते हुये प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिये गये। प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता को तारीख पेशी की जानकारी न्यायालय द्वारा नहीं दी गई, ना ही न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 22.07.2025 को आगामी तारीख पेशी हेतु कोई सूचना चस्पा की। न्यायालय ने टारगेट केस के नाम पर उक्त प्रकरण पर दिनांक 29.07.2025 व 01.08.2025 को तारीख पेशी में लेकर दिनांक 01.08.2025 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी, जबकि उक्त प्रकरण की टीआई प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2025 हेतु नियत कर दी गई। न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरण समान होने के बावजूद भी दोनों प्रकरणों में अलग–अलग तारीख पेशियां दी गई है, जो न्यायिक प्रकिया पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। न्यायालय टारगेट केस के नाम पर बहुत सारे प्रकरणों को ऐसे ही उड़ा रहा है। प्रार्थना पत्र में उसने सभी बातें अंकित की है। प्रतिवादी हर तारीख पेशी पर उपस्थित रहा है। प्रार्थी को तारीख पेशी की जानकारी ना होने के कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकतरफा निर्णय दिनांक 01.08.2025 को निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण/वादीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये कथन किया है कि अप्रार्थीगण ने अनुपस्थिति बाबत कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया हैं। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण टारगेट होने के कारण दिनांक 22.07.2025 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.07.2025 नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी, जिसको नोटिस बोर्ड से ही सभी अधिवक्ताओं ने तारीख पेशी नोट की थी। उक्त प्रकरण की तारीख पेशी नोट करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता की थी, परंतु उनके द्वारा तारीख पेशी नोट नहीं की गई है तथा अनावश्यक रूप से न्यायालय पर आरोप लगाये हैं। दिनांक 01.08.2025 की अनुपस्थिति को प्रतिवादीगण ने कोई न्यायोचित कारण दर्शित नहीं किये हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है। प्रतिवादी ने प्रकरण में विलंब

19.9.25

करने के आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अंत में प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थी/प्रतिवादी विजय द्वारा दिनांक 01.08.2025 को पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण टारगेट संख्या 16 है। उक्त प्रकरण दिनांक 30.05.2025 को वास्ते सुनवाई नियत था। दिनांक 30.05.2025 से 22.07.2025 नियत किया गया। दिनांक 22.07.2025 को कर्मचारीगण के सामूहिक अवकाश पर होने से टारगेट प्रकरणों में दिनांक 22.07.2025 को दिनांक 29.07.2025 नियत की गई तथा टारेगट केस के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में दिनांक 19.08.2025 नियत किया गया, जिसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। उक्त प्रकरण टारगेट केस होने से मुताबिक नोटिस बोर्ड के अनुसार दिनांक 29.07.2025 को पेशी में लिया गया। उस दिन वादी के अधिवक्ता उपस्थित आये एवं प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण उचित आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 01.08.2025 नियत की गई। दिनांक 01.08.2025 को वादी पूरणमल मय अधिवक्ता उपस्थित आया। परंतु प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, इसलिये प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 जन्सी फौत हो चुका था, जिसका नाम डिलीट किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर उसका नाम वादपत्र उसे दिनांक 18.04.2023 को डिलीट किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08.08.2025 को भी वादी के अधिवक्ता उपस्थित आये, परंतु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। दिनांक 20.08.2025 को भी वादी अधिवक्ता उपस्थित आये, परंतु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आयें। दिनांक 29.07.2025 को प्रतिवादी विजय मय अधिवक्ता उपस्थित आये। उनके द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर चाहा। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्यतः यह कथन किया

19.9.25

है कि उक्त प्रकरण दिनांक 22.07.2025 को नियत था। उस दिन कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर थे, आगामी तारीख पेशी नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं की गई। दिनांक 01.08.2025 को उक्त प्रकरण को पेशी में ले लिया गया, जिसकी प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता को जानकारी नहीं थी। उक्त उनवानी प्रकरण का टीआई प्रार्थना पत्र भी इसी न्यायालय में चल रहा है। दोनों पत्रावलियां एक शीर्षक होने के बावजूद पत्रावली में अलग–अलग आदेश दिये गये है, जो न्यायिक प्रकिया पर प्रश्नचिह्न खडे करता है। उक्त प्रकरण टारगेटेड प्रकरण होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सूचीबद्ध किया जा रहा है। उसी कम में प्रकरण दिनांक 22.07.2025 से दिनांक 29.07.2025 को नियत किया गया। उस दिन प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, इसलिये दिनांक 01.08.2025 नियत की गई। दिनांक 22.07.2025 को कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर होने से टारगेट प्रकरणों व अन्य प्रकरणों में अलग–अलग तारीख पेशी नियत कर नोटिस नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया। न्यायालय द्वारा न्यायालय के सहजदृश्य भाग पर नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस बोर्ड से आगामी तारीख पेशी नोट किया जाना पक्षकारान व उसके अधिवक्ता का कर्तव्य था, परंतु उनके द्वारा तारीख पेशी नोट नहीं की गई और अनावश्यक रूप से न्यायालय पर लांछन लगाये गये हैं। दिनांक 22.07.2025 को तारीख पेशी नोट नहीं किया जाना पक्षकार व उसके अधिवक्ता की लापरवाही रही है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र करीब 3 पेशियों पश्चात् एवं करीब डेढ महीने पश्चात् पेश किया है। विधि का यह सिद्धांत है कि अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकारान को नहीं दिया जा सकता। प्रतिवादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। इसलिये उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह कानून की बारीकियों को समझता हो। चूंकि प्रकरण अभी प्रारंभिक स्तर पर है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने से वादीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना दर्शित नहीं होता है। दिनांक 01.08.2025 के पश्चात् प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये व वाद बाहुल्यता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 विजय को सुनवाई का

19.9.25

अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र करीब 3 पेशियों के पश्चात् डेढ़ महीने पश्चात् पेश किया है। जहां तक प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है चूंकि अपना पक्ष यथोचित समय पर पेश करने का दायित्व स्वंय प्रार्थी पर था, परंतु उसके द्वारा समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर हस्तगत प्रार्थना पत्र को देरी से पेश किया गया। इसलिये प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 विजय पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है। **अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 विजय का प्रार्थना पत्र 2000/रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 विजय की हद तक उसके विरुद्ध पारित आदेश 01.08.2025 को अपास्त किया जाता है।**

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 विजय की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रकिया संहिता दिनांकित 15.09.2025 को 2000/रूपये (अक्षरे दो हजार रूपये) के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। कोस्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर में जमा करवाई जाकर उसकी रसीद आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से पेश करें। कोस्ट अदायगी आगामी कार्यवाही हेतु पूर्ववर्ती शर्त रहेगी।

आगामी तारीख पेशी पर साक्ष्य वादी में गवाहान को उपस्थित रखें। पत्रावली वास्ते पेश होने कोस्ट अदायगी रसीद/साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।

19.9.25

(हेमन्त मेहरा)

सिविल न्यायाधीश, चौथ का बरवाड़ा

सवाई माधोपुर